भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 904
दिनांक 27.07.2026 को उत्तर के लिए नियत
उत्तर प्रदेश में पीएमईजीपी का कार्यान्वयन

904. **श्रीमती संगीता यादवः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत प्राप्त, संस्वीकृत एवं असंस्वीकृत आवेदनों की संख्या तथा अखिल भारतीय स्तर पर तथा उत्तर प्रदेश राज्य में संवितरित मार्जिन मनी का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आवेदनों के अस्वीकृत किए जाने के प्रमुख कारण क्या हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य में पीएमईजीपी आवेदनों के प्रसंस्करण तथा मार्जिन मनी जारी करने में लगने वाला औसत समय कितना रहा है, इसमें हो रहे विलंब के क्या कारण हैं तथा इसके लिए कौन-से जवाबदेही तंत्र निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) आवेदन की गुणवत्ता में सुधार तथा अस्वीकृति की दरों में कमी लाने के लिए कौन-कौन सी पहलें की गई हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): विगत तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2023-24 से 2025-26 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर और उत्तर प्रदेश राज्य में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत बैंकों द्वारा प्राप्त, संस्वीकृत और अस्वीकृत आवेदनों तथा संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार हैः

वित्तीय वर्ष	अखिल भारत				उत्तर प्रदेश			
	बैंकों द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या	बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदनों की संख्या	बैंकों द्वारा अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	संवितरित एमएम सब्सिडी (करोड़ रुपये में)	बैंकों द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या	बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदनों की संख्या	बैंकों द्वारा अस्वीकृत आवेदन की संख्या	संवितरित एमएम सब्सिडी (करोड़ रुपये में)
2023-24	3,71,518	1,61,6,00	1,96,363	3093.87	38622	19482	18541	435.29
2024-25	2,44,192	1,07,895	1,32,258	2202.00	13928	7496	7113	219.09
2025-26	1,61,711	50,430	74,409	2457.34	2955	959	861	303.60

नोट: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) एक गतिशील एवं मांग-आधारित स्कीम है, जिसके अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निरंतर आधार पर प्रसंस्करण किया जाता है। तदनुसार, आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने से लेकर ऋण संस्वीकृति तथा मार्जिन मनी सब्सिडी के संवितरण तक विभिन्न चरणों से होकर क्रमिक रूप से आगे बढ़ते हैं।

(ख): पीएमईजीपी के अंतर्गत, प्रत्येक परियोजना की व्यवहार्यता का आकलन करने के उपरांत संबंधित वित्तपोषण बैंक द्वारा परियोजनाओं को अंतिम स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा ऋण का संवितरण किया जाता है। वित्तपोषण बैंकों द्वारा पीएमईजीपी आवेदनों को अस्वीकृत किए जाने के प्रमुख कारणों में परियोजना का अर्थक्षम न होना, सिबिल रिपोर्ट का संतोषजनक न होना, पहले से ही इकाई का प्रचालन में होना, प्रस्तावित उद्योग के संबंध में पर्याप्त जानकारी का अभाव, लाभार्थी से अनिवार्य दस्तावेज़ प्राप्त न होना तथा लाभार्थी द्वारा बैंक की औपचारिकताओं को पूर्ण करने में सक्षम न होना आदि शामिल हैं।

(ग): पीएमईजीपी के अंतर्गत आवेदनों के प्रसंस्करण में कार्यान्वयन एजेंसियों, बैंक और लाभार्थियों सहित बहु हितधारकों की सहभागिता होती है। आवेदनों के अनुमोदन एवं स्वीकृति में लगने वाला वास्तविक समय सभी हितधारकों द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति पर निर्भर करता है। जहाँ कहीं विलंब होता है, उसके प्रमुख कारणों में आवेदकों द्वारा अपूर्ण आवेदन अथवा दस्तावेज़ प्रस्तुत किया जाना, बैंकों द्वारा परियोजनाओं के मूल्यांकन एवं स्वीकृति में लगने वाला समय, लाभार्थियों द्वारा उद्यमिता विकास कार्यक्रम का प्रशिक्षण पूर्ण न करना तथा स्वयं के अंशदान की राशि जमा न करना आदि शामिल हैं। वित्तपोषण बैंकों द्वारा पीएमईजीपी आवेदनों की स्वीकृति में औसतन 52 दिन का समय लगता है, जबकि मार्जिन मनी सब्सिडी के संवितरण में औसतन 112 दिन का समय लगता है। मार्जिन मनी सब्सिडी के संवितरण में लगने वाला समय वित्तपोषण बैंकों द्वारा मार्जिन मनी दावा प्रस्तुत किए जाने तथा निधि की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है।

मंत्रालय ऑनलाइन पीएमईजीपी पोर्टल, कार्यान्वयन एजेंसियों और बैंक के साथ आवधिक समीक्षा बैंठकों तथा आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण और मार्जिन मनी का शीघ्र संवितरण सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से स्कीम के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी करता है।

(घ): पीएमईजीपी के अंतर्गत आवेदनों की गुणवत्ता में सुधार करने और आवेदनों की अस्वीकृति दर को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित पहलें की गई हैं:

i. निर्बाध प्रसंस्करण और सरलीकृत पंजीकरण, आधार-आधारित बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण और विशिष्ट मोबाइल एप्लिकेशन के लिए बहुभाषी पहुंच, आवेदनों के लिए डीपीआर प्रस्तुती को सरल बनाने के लिए पूर्व-निर्धारित क्षेत्रों के साथ डिजिटल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), जन समर्थ के वित्तपोषण बैंकों और उद्यम के साथ एकीकरण हेतु भाषिणी के साथ समग्र डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में एक नया पीएमईजीपी पोर्टल 2.0 लॉन्च किया गया है।
ii. भावी लाभार्थियों को वास्तविक समय सहायता और पथ-प्रदर्शन सहायता के लिए राज्य कार्यालयों में पीएमईजीपी हेल्पडेस्क की स्थापना की गई है।
iii. विभिन्न उद्योगों पर तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के 1,000 से अधिक मॉडल की एक विस्तृत श्रृंखला पीएमईजीपी पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है।
iv. भावी लाभार्थियों को चिन्हित करने और आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवश्यक मार्गदर्शन तथा पथ-प्रदर्शन सहायता के लिए पिछड़े और कम कार्य-निष्पादन वाले क्षेत्रें, आकांक्षी जिलों, पूर्वोत्तर क्षेत्र आदि सहित सभी राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों में जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन।
v. पीएमईजीपी सहित सरकार की विभिन्न पहलों के बारे में भावी उद्यमियों को शिक्षित करने के लिए बैंकों द्वारा वित्तीय साक्षरता शिविर और ग्राहक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन।
